कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 205 /प्र.अ./विधि(पी.ए.)./लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 24/04/2026

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 40126/2025 (ओमप्रकाश कोकाटे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला के अधीनस्थ कार्यरत है, के द्वारा दायर की गई थी, में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पॉलिसी दिनांक 16.05.2007 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के नियमितीकरण पर विचार किया जा रहा है।

(1) श्री ओमप्रकाश कोकाटे दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 40126/2025 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> Therefore, it is most humbly prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to: -:
>
> 7.1- Issue a writ of mandamus to the respondents to regularize the petitioners in the light of direction issued by State Government vide letter dated 06.09.2021 (Annexure P/S & P/6),
>
> 7.2-In the interest of justice. Issue a direction to the respondents to consider and decide the representation (Annexure P/7) in accordance with law in stipulated time period, in the interest of Justice.
>
> 7.3-Issue any other relief deems fit may also be granted including cost of litigation.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> 3. Considering the aforesaid submissions, the petition is disposed off with the following directions:-
>
> (i) The respondents shall consider the case of the petitioner in terms of the policy dated 16.05.2007 as per the vacancy position and service particulars of the petitioner as on 16.05.2007.
>
> (ii) If the petitioner is not found entitled for regularization under the policy dated 16.05.2007 then the respondents shall regularize the petitioner as and when his turn comes in the waiting list as per the policy dated 06.09.2021.
>
> (iii) Let the consideration under the policy dated 16.05.2007 be carried out within 45 days of production of copy of this order.
>
> 4. With the aforesaid directions, the petition stands disposed off.

(3) अंतिम रूप से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण :–

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क. 40126/2025 (ओमप्रकाश कोकाटे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2025 के परिपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमा देवी (सुप्रा)** प्रकरण में पारित निर्णय के संदर्भ में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007 के अनुसार याचिकाकर्ता श्री ओमप्रकाश कोकाटे के नियमितीकरण पर विचार कर निर्णय लिया जाना है।

(4) याचिकाकर्तों के नियमितीकरण के संबंध में निर्धारण :–

रिट पिटीशन क. 40126/2025 (ओमप्रकाश कोकाटे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2025 के परिपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला के अधीनस्थ कार्यरत दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी कर्मचारी श्री ओमप्रकाश कोकाटे को नियमित किये जाने के संबंध में निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उमा देवी (सुप्रा) प्रकरण में पारित निर्णय और म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निर्णय के पश्चात जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007 के अनुसार, विभाग द्वारा की गई नियमितीकरण की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता का भी विचारण किया गया था किंतु वरिष्ठता नहीं होने के कारण नियमितीकरण नहीं हो पाया था :–

(अ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी/अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में परिपत्र क्रं. एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16.05.2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.09.2014 जारी किये गये थें।

(ब) म.प्र.शासन, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये उपरोक्तानुसार निर्देशों के परिपालन में विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कार्यभारित स्थापना के रिक्त पदों पर नियमितीकरण किया जाना था किन्तु विभाग के समक्ष यह तथ्य आये थे कि विभाग द्वारा वर्ष 1980 में बनाये गये कार्यभारित स्थापना कर्मचारियों के भर्ती नियम तत्समय म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित नहीं होने के कारण प्रभावशील नहीं रहे है तथा विभाग को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण करने के पूर्व नये सिरे से कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों के लिये सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम बनाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा म.प्र.शासन, समान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन एवं सहमति उपरांत **"म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी(भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2012"** बनाये गये थे। इन नियमों का म.प्र. राजपत्र(असाधारण) में दिनांक 18/09/2012 को प्रकाशन हुआ था तथा उक्त नियमों के बन जाने के उपरांत विभाग में र्दनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी।

(स) इस संबंध मे याचिकाकर्ता को अवगत कराया जाता है कि विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं दिनांक 29.09.2014 के अनुपालन में, विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण, कार्यभारित/नियमित स्थापना के पद पर किया गया था। परिपत्र दिनांक 06.09.2008 में ट्रेडवार सूची बनाकर वरिष्ठता के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही का उल्लेख था जिसमें उनका वरिष्ठताक्रम पीछे होने के कारण, उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया था। परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के माध्यम से निर्धारित योग्यता धारण करने वाले दैनिक वेतन भोगी

कर्मचारी को उस संवर्ग में पद रिक्त न होने की स्थिति में कोई अन्य समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इस परिपत्र के अनुपालन में तत्समय की पदों की रिक्तता एवं नियमितीकरण हेतु शेष रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार समग्रता से विश्लेषण एवं आकलन उपरांत परिक्षेत्र स्तरों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई थी। इस प्रक्रिया में भी याचिकाकर्ता का नियमितीकरण नहीं हो पाया था।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही (वर्ष 2013–2014) में भेदभाव बरते जाने का उल्लेख नहीं किया गया है :–

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.10.2025 में उसने म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 16.05.2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.09.2008 एवं 29.09.2014 के अनुपालन में विभाग द्वारा वर्ष 2013–2014 में की गई, कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही में, उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने अथवा उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किये जाने का उल्लेख नही किया हैं।

(iii) याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की नियुक्ति पूर्णतः अवैद्यानिक है –

(अ) याचिकाकर्ता का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप मे नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था । विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसकी नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। उसकी नियुक्ति के संबंध में किसी वैद्यानिक प्रक्रिया के अपनाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ना ही नियुक्ति से संबंधित कोई विधिवत् आदेश जारी हुआ है। विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। याचिकाकर्ता को स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया था। संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे। उक्तानुसार याचिकाकर्ता को बिना किसी भर्ती नियम के अथवा किसी भर्ती प्रकिया के तथा बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किया गया था। ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर राज्य शासन के सेवा नियम लागू नहीं होते है। यदि उनका नियोजन ''म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया जाता है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause-4 एव 4-A में है, का पालन नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है –

> **4: Recruitment. — The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on, which standing orders are exhibited.**
>
> **4-A. Letter of appointment. — Every employee shall be given a letter of appointment, in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification: pay-scale, allowance, nature of job, name of department etc., shall be indicated.**

(ब) सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006**के सन्दर्भ में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 के अनुसार अवैधानिक नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि :–

" संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत अपात्र लोगों की, ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत की गई नियुक्ति जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो तथा ऐसी नियुक्ति करने हेतु नियुक्तिकर्ता वैध रूप से आबद्ध ना हो तथा ऐसी नियुक्ति करना अवैधानिक हो तथा ऐसी नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत नहीं होते हुए या नियुक्तिकर्ता को नियुक्ति के अधिकार नहीं होते हुए नियम/ बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो। उदाहरणार्थ –

- पद स्वीकृत न होना
- आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर की गई नियुक्ति
- नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा न होना
- भर्ती नियम अनुसार अर्हता न होना
- नियुक्ति के अधिकार के बिना नियुक्ति
- कोई पद पर नियुक्ति विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, फिर भी ऐसे नियमों या संविधान के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में भर्ती की गई हो।"

(स) मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में **रिट याचिका क्रमांक 198/1999 मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015** में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहॉ विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियॉ की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य मानी जायेंगी। यथा :–

47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment

rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government."

इसी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गयी **एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017** द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय ने मा0उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।

(द) उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 तथा एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.4.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ता का दैनिक वेतन भोगी नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023 में अवैधानिक रूप से नियुक्त हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को अमान्य किया गया है :–

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस.एल.पी. (सिविल) कमांक 10519/2020 (विभूति शंकर पांडे बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2023** में अपने पूर्व निर्धारित प्रकरण **सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सेक्रेटरी कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2006** का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो, बिना किसी भरती नियम के अथवा किसी भरती प्रकिया के तथा बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किये गए हैं, उनके द्वारा की गई नियमितीकरण की मांग मान्य किये जाने योग्य नहीं है । निर्णय निम्नानुसार है :–

> **3. The case of the appellant is that he was engaged in 1980 as a Supervisor, on daily rated basis, under a project of the State Water Resources Department of Madhya Pradesh. The appellant sought regularization on the post of Supervisor/Time Keeper. Admittedly, the minimum qualification for the said post was matriculation with mathematics; a qualification which the appellant did not possess. These qualifications were relaxed by a Government Circular dated 31.12.2010 and the appellant sought his regularization on the post of Supervisor/Time Keeper, as he was qualified for the post and had been working on daily wage basis for a long period of time. In fact, in another writ petition (W.P. 13997/2010) filed by the appellant earlier, the High Court of Madhya Pradesh vide order dated 02.11.2017, had given directions to the State Government to decide the claim of the writ petitioner in accordance with law. Vide order dated 18.06.2018 issued by the Office of Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, the claim of the appellant for regularization was rejected for the reasons that though the minimum qualifications of matriculation with mathematics will not come in the way for his regularization, but the fact remains that the appellant was never appointed against any post. Moreover, his appointment was never made by the competent authority and there were no posts available at the time for regularization. The appellant on the other hand, had set his claim for regularization as persons who were junior to him as daily wagers were regularized in the year 1990 or even before. The learned Single Judge while allowing the writ petition gave directions for regularization of the appellant from the date on which his juniors were regularized. This order was challenged by the State Government before a Division Bench which allowed the appeal of the State Government. The**

Division Bench rightly held that the learned Single Judge has not followed the principle of law as given by this Court in Secretary, State of Karnataka and Ors. v. Umadevi and Ors. , as initial appointment must be done by the competent authority and there must be a sanctioned post on which the daily rated employee must be working. These two conditions were clearly missing in the case of the present appellant. The Division Bench of the High Court therefore has to our mind rightly allowed the appeal and set aside the order dated 27.06.2019.

4. In view of the law laid down by the Constitution Bench of this Court in Uma Devi (supra), the appellant had no case for regularization. There is no scope, hence, for our interference with the order of the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court. Appeal is dismissed.

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी कर्मचारी म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 16.05.2007 के आधार पर वर्तमान में कार्यभारित/नियमित स्थापना के पदों पर विभागीय तौर पर संविलियन की पात्रता नहीं रखता है । इस संबंध में अपवाद यह है कि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी "कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना" दिनांक 07.10.2016 के अनुसार यदि याचिकाकर्ता कर्मचारी का भविष्य में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमित पद पर संविलियन हेतु चयन किया जाता है तो उसे नियमितिकरण संबंधी लाभ प्राप्त हो सकेंगे ।

(v) स्वीकृत पद बनाकर सभी का नियमितीकरण करने के लिए सरकार बाध्य नही :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील कमांक 10563–10570/2017 (तमिलनाडू राज्य एवं अन्य विरूद्ध तमिलनाडू मक्कल नाला पनियालालरगल एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 11.04..2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वीकृत पद रिक्त ना होने की स्थिति में राज्य को इस बाबत बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह पदों का निर्माण करें तथा उन लोगों का नियमित सेवा में संविलियन करें जो लगातार सेवाऐं दे रहे हैं।

(5) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु पॉलिसी दिनांक 16.05.2007 के स्थान पर नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु पॉलिसी दिनांक 07.10.2016/06.09.2021 लायी गयी है :–

म.प्र. शासन द्वारा नियमितीकरण पालिसी दिनांक 16.05.2007, वर्ष 2016 में जारी किये गए म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 **— कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए "स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजनां** के माध्यम से पूरी तरह से परिमार्जित की जा चुकी है । योजना का विस्तार सभी विभागों के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तक होने के कारण, राज्य शासन द्वारा इस योजना को अधिक लाभदायक, कल्याणकारी और कर्मचारी हितैषी बनाते हुए इसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया **(जिला स्तर के चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की**

अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किये जाने पर) के माध्यम से, नियमित सेवा में संविलियन के अवसर भी उपलब्ध कराये गए है । याचिकाकर्ता को इस योजना के अंतर्गत कुशल श्रेणी में स्थायी घोषित करते हुऐ वेतनमान रूपये 5000–8000/– स्वीकृत किया गया है।

(6) न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में याचिकाकर्ता को प्राप्त होने वाले लाभों का अंतिम निर्धारण :–

उपरोक्तानुसार संपूर्ण विचारोपरांत वादी कर्मचारी द्वारा रिट याचिका कमांक 40126/2025 के माध्यम से की गयी मांग कि उसका म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई पॉलिसी दिनांक 16.05.2007 के अनुसार, विभागीय तौर पर नियमितीकरण किया जावे, को कंडिका (4) में उल्लेखित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतो के आधार पर अमान्य किया जाता है। याचिकाकर्ता कर्मचारी को भविष्य में नियमितीकरण का लाभ मात्र म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गयी **"कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये "स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना"** दिनांक 07.10.2016 के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकेंगे।

(7) यदि याचिकाकर्ता इस निराकरण से असंतुष्ट हों तो वे अपनी अपील 02 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

24/4

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 3354 **/प्र.अ./विधि(पी.ए.)/लो.स्वा.यां.वि./2026** **भोपाल, दिनांक** 24-04-2026

प्रतिलिपि :–

1 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 अधीक्षण यंत्री, (अराज) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मंडला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

5 श्री ओमप्रकाश कोकाटे, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड मंडला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

24/4

प्रमुख अभियंता